


न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डि.र.आ. बनाम शमसुद्दीन 810 भागमल जाट  
प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/20/2022

निर्णय दिनांक :- 20/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम .....  
की आ.ख.न. 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गिण्डो में से 0-15  
रकबे पर श्री शमसुद्दीन 810 भागमल जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .....  
कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डि.र.आ. द्वारा दिनांक .....  
21/5/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद  
भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी शमसुद्दीन 810 भागमल जाट जाति जाट निवासी शानोता को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .....  
उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।  
उक्त रकबा आ.ख.न. 112 रकबा 3.00 में से 0-15  
रकबे किस्म गिण्डो तमि है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित  
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 2.79 का  
50 गुणा 140/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी डि.र.आ. भू.अ.निरी. ....  
दरौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
तहसीलदार (अलवर)  
तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)